XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक आर.993–दो/05 जिला–जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28–7–15 कैम्प जबलपुर	आवेदक की ओर से दिनांक 22–5–05 के बाद से बार–बार सूचना पत्र भेजने के बाद भी कोई उप. नहीं हो रहा है । इससे ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को अपना प्रकरण चलाने में कोई रूचि नहीं हैं । अतः आवेदक अभि. की रूचि के अभाव में यह प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । दाखिल रिकार्ड हो । सदस्य	

COURT FEE 10 Rs. भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES
COURT FEE 10 Rs. भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

समक्ष माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर - खण्ड पीठ, जबलपुर

निगरानी प्रकरण क्र. - /अ-6/04-05 R. 993 II/05

आवेदकगण:

1. छोटी बाई गोंड बेवा शम्भूसिंह गोंड
2. उपेन्द्रसिंह वल्द शम्भूसिंह गोंड
3. वीरेन्द्रसिंह वल्द शम्भूसिंह गोंड
4. राजेन्द्र सिंह वल्द शम्भूसिंह गोंड
5. सुनहरा बाली बेवा विशम्भरसिंह गोंड
6. विशंभरसिंह वल्द विशमानसिंह गोंड

सभी निवासी- ग्राम चुरहटी पिपरिया
प0ह0नं0105, तहसील ढीमरखेड़ा, जिला-कटनी
(तत्कालीन तहसील सिहोरा, जिला- जबलपुर)

श्री पी.जी. छत्री अभिभाषक द्वारा आज दिनांक 30-6-05 को जबलपुर कैम्प पर प्रस्तुत किया।
30-6-05

विरुद्ध

अनावेदक :

केहरसिंह वल्द अमानसिंह गोंड
निवासी- ग्राम चुरहटी पिपरिया,
तहसील ढीमरखेड़ा जिला-कटनी

आवेदन पत्र भू संहिता की धारा 50 के अंतर्गत - निगरानी हेतु ।

प्रस्तुत निगरानी आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय अति0 कमीश्नर जबलपुर द्वारा अपने पुनर्विलोकन प्रकरण क्र. 432/अ-6/03-04 में संहिता की धारा 47"अपीलों की काल सीमा" सहपठित धारा 53 " परिसीमा अधिनियम का लागू होना" और धारा 48 " याचिका के साथ आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि होना" से संबंधित पारित आदेश दिनांक 19.7.04 के विरुद्ध है ।

आवेदिका को अधीनस्थ न्यायालयके आदेश की जानकारी होने पर तत्काल दिनांक 2.5.05 को प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदन पत्र देने पर दिनांक 25.5.05 को प्राप्त हुई है, विलंब क्षमा का आवेदन पृथक से संबंध है :-

प्रकरण कृतथ्य

52

(1) यह कि उभय पक्षों के मध्य विवाद की विषय वस्तु ग्राम चुरहटी पिपरिया